गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
MINISTRY OF
EDUCATION
Department of School Education & Literacy
सत्यमेव जयते

उल्लास ULLAS
नव भारत साक्षरता कार्यक्रम
जन जन साक्षर

विद्यया ऽमृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT

उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम

के क्रियान्वयन हेतु शिक्षक-शिक्षा संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश

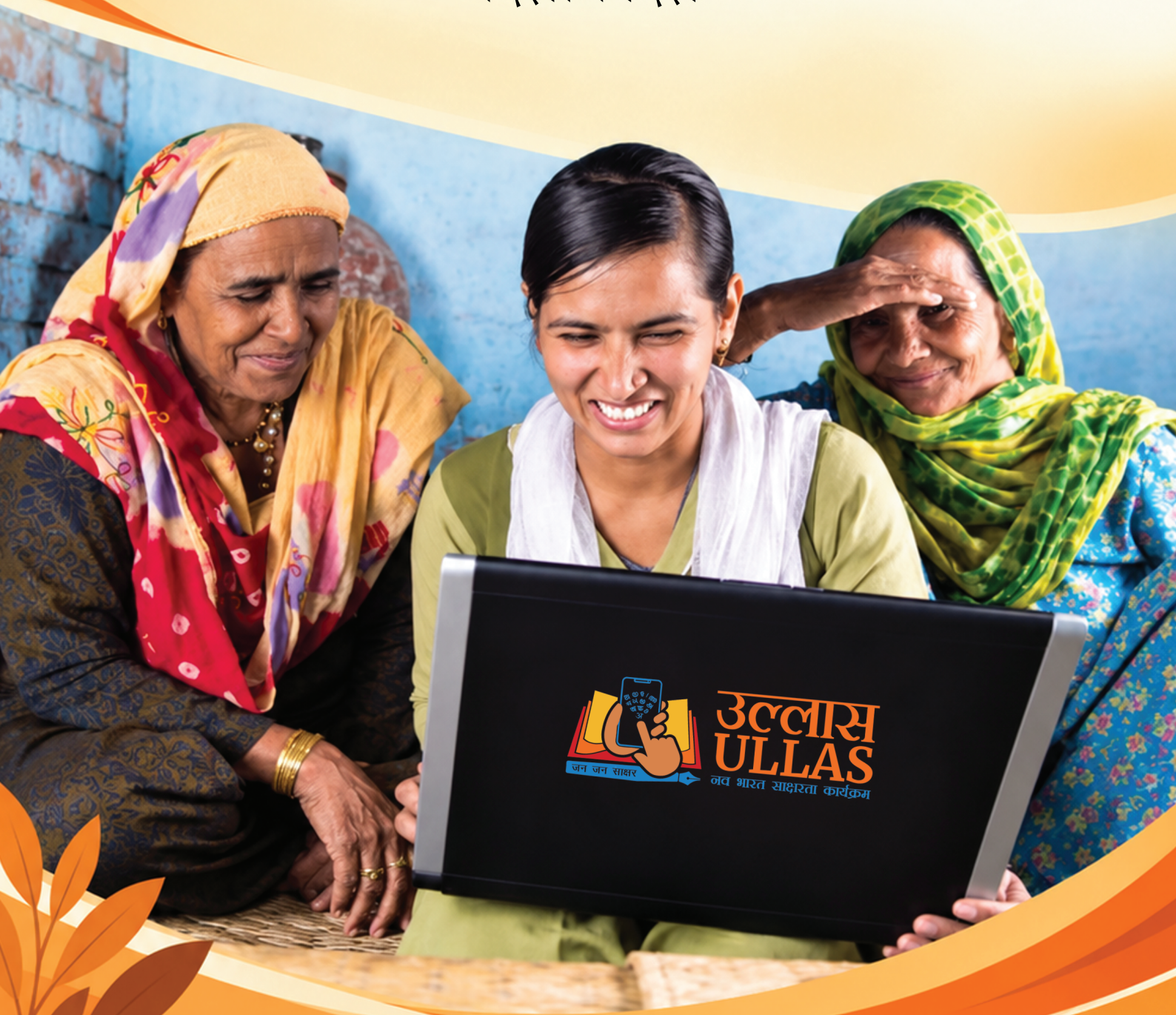

प्रल्हाद जोशी
PRALHAD JOSHI
ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ

सत्यमेव जयते

शिक्षा, उपभोक्ता मामले,
खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF EDUCATION, CONSUMER AFFAIRS,
FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION AND
NEW & RENEWABLE ENERGY
GOVERNMENT OF INDIA



संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता है कि 'उल्लास' (Understanding of Lifelong Learning for All in Society) नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक-शिक्षा संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश साझा किए जा रहे हैं। यह पहल शिक्षक-शिक्षा को देश में साक्षरता के लिए किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयास से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत की युवा शक्ति देश की प्रगति की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे युवा और भावी शिक्षक अपनी ऊर्जा, ज्ञान और संवेदनशीलता का उपयोग समाज के उन लोगों को साक्षर बनाने में कर सकते हैं, जिन्हें किसी कारणवश शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल सका। स्वयंसेवी शिक्षक द्वारा सिखाया गया प्रत्येक अक्षर और प्रत्येक संख्या किसी व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नए अवसरों के मार्ग प्रशस्त कर सकती है। उल्लास के अंतर्गत स्वयंसेवी शिक्षक बनकर, हमारे युवा एक साक्षर, सशक्त और समावेशी भारत के निर्माण में सार्थक योगदान दे सकेंगे - एक ऐसा भारत जहाँ हर व्यक्ति को सीखने, आगे बढ़ने और देश के विकास में पूरी तरह से भाग लेने का अवसर मिले।

मैं सभी युवाओं और शिक्षक-शिक्षार्थियों से आह्वान करता हूँ कि वे इस कार्य के लिए स्वयंसेवी शिक्षक के रूप में आगे आएँ और 'जन जन साक्षर' के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान दें। यह केवल एक शैक्षणिक दायित्व नहीं है, बल्कि समाज की सेवा करने, राष्ट्र-निर्माण में योगदान देने और अपने कर्तव्यबोध को सार्थक रूप देने का अवसर भी है।

मुझे विश्वास है कि युवाओं की सक्रिय सहभागिता से उल्लास एक मजबूत जन आंदोलन का रूप लेगा और हम सभी मिलकर भारत को 'पूर्ण साक्षर' बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस पहल की पूर्ण सफलता हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

प्र. जो.

(प्रल्हाद जोशी)

MoE - Room No. 21106, 1st Floor, Kartavya Bhavan-2, New Delhi-110001, Phone: 91-11-24015222, 24015290
E-mail: minister.sm@gov.in
Residence: 11, Akbar Road, New Delhi-110001, Tel.: 011-23014097, 23094098
Office of MP Dharwad: Chitaguppi Hospital Compound, Sir Siddappa Kambli Marg, Hubballi-580020 (Karnataka)
Tel.: 0836-2251055, 2258955, Email: pralhadvjoshi@gmail.com, officeofpralhadjoshiji@gmail.com

जयन्त चौधरी
JAYANT CHAUDHARY

सत्यमेव जयते

कौशल विकास और उद्यमशीलता
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं
शिक्षा राज्य मंत्री
भारत सरकार
Minister of State (Independent Charge) for
Skill Development and Entrepreneurship
and Minister of State for Education
Government of India



संदेश

किसी राष्ट्र की प्रगति का आकलन केवल उसके द्वारा सृजित अवसरों से ही नहीं, बल्कि इस बात से भी होता है कि वह कितने नागरिकों को उन अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। साक्षरता इस राष्ट्रीय प्रयास का आधारस्तंभ है। यह प्रत्येक व्यक्ति को विवेकपूर्ण निर्णय लेने, समाज में सक्रिय भागीदारी निभाने तथा जीवन के प्रत्येक चरण में नई संभावनाओं को साकार करने का आत्मविश्वास प्रदान करती है।

'उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' इस साझा संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उल्लास पोर्टल पर चार करोड़ से अधिक शिक्षार्थियों का पंजीकरण यह दर्शाता है कि 'जन-जन साक्षर' के लक्ष्य को प्राप्त करने के हमारे प्रयास तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं।

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए जारी कार्यान्वयन दिशानिर्देश भावी शिक्षकों को इस राष्ट्रीय साक्षरता आंदोलन से जोड़कर इस मिशन को और अधिक गति प्रदान करेंगे। प्रौढ़ शिक्षार्थियों एवं उनके समुदायों के साथ सहभागिता से भावी शिक्षकों को मूल्यवान व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा, साथ ही वे कक्षा की परिधि से परे एक व्यापक सामाजिक उद्देश्य में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकेंगे। यह न केवल कुशल एवं योग्य शिक्षकों को तैयार करने का अवसर है, बल्कि ऐसे सजग नागरिकों का निर्माण करने का भी माध्यम है जो शिक्षा को एक साझा सामाजिक दायित्व मानते हैं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिक्षक शिक्षा संस्थान इन दिशानिर्देशों को पूरे उत्साह से अपनाएंगे तथा धरातल पर सार्थक परिणाम सुनिश्चित करेंगे। पढ़ना-लिखना सीखकर निरंतर ज्ञानार्जन की ओर अग्रसर प्रत्येक शिक्षार्थी एक सशक्त एवं समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मैं शिक्षा मंत्रालय, NCTE, NCERT तथा इस पहल से जुड़े सभी हितधारकों को हार्दिक बधाई देता हूँ। आशा है कि यह सामूहिक प्रयास इस संकल्प को सुदृढ़ करेगा कि ज्ञानार्जन की यात्रा में कोई भी पीछे न छूटे।

(जयन्त चौधरी)

Office : Room No. 21042, Kartavya Bhavan-2, New Delhi- 110001
Tel. : +91-11-24015042, 24015044-45, E-mail : mosedu-jc@gov.in

टी. के. अनिल कुमार, भा.प्र.से.
सचिव

T. K. Anil Kumar, IAS
Secretary

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार
Department of School Education & Literacy
Ministry of Education
Government of India



संदेश

उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक-शिक्षा संस्थानों की सहभागिता के लिए तैयार किए गए ये दिशा-निर्देश भारत में शिक्षक-शिक्षा एवं साक्षरता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप, यह समय की आवश्यकता है कि शिक्षक-शिक्षा को केवल कक्षा-कक्ष में शिक्षण तक सीमित न रखते हुए उसे समुदाय, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं प्रौढ़ शिक्षा से जोड़ा जाए। इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से भावी शिक्षकों को देश के साक्षरता मिशन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देने का अवसर प्रदान किया गया है।

इस पहल का प्रभाव केवल उन शिक्षार्थियों तक सीमित नहीं रहेगा, जिन्हें साक्षर बनने में सहयोग प्राप्त होगा, बल्कि यह भावी शिक्षकों की सोच, दृष्टिकोण एवं उनकी व्यावसायिक दक्षताओं को भी आकार देगा। इस प्रकार से शिक्षक-शिक्षा संस्थान ऐसे भावी शिक्षकों को तैयार करने में अधिक प्रभावी भूमिका निभाएँगे, जो केवल कक्षा-कक्ष में शिक्षण करने वाले शिक्षक न होकर समाज एवं राष्ट्र के विकास में परिवर्तन के सक्रिय वाहक भी बनें।

मुझे विश्वास है कि इन दिशा-निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन शिक्षक-शिक्षा और राष्ट्रीय साक्षरता आंदोलन के बीच एक सुदृढ़ सेतु स्थापित करने में सहायक होगा। इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से हम केवल वर्तमान साक्षरता लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि भारत के भावी शैक्षिक परिदृश्य की नींव को भी सुदृढ़ कर रहे हैं - एक ऐसा शैक्षिक परिदृश्य जिसमें शिक्षक समुदाय से जुड़े हों, शिक्षा अधिक समावेशी हो तथा प्रत्येक व्यक्ति को सीखने और प्रगति करने के अवसर प्राप्त हों।

मैं सभी शिक्षक-शिक्षा संस्थानों, शिक्षक-प्रशिक्षकों एवं शिक्षक-शिक्षार्थियों से आह्वान करता हूँ कि वे इस पहल को केवल एक अनिवार्य शैक्षणिक गतिविधि के रूप में न देखें, बल्कि इसे उचित भावना एवं प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्र-निर्माण और सामाजिक परिवर्तन में सार्थक योगदान देने के एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में अपनाएँ।

शुभकामनाओं सहित,

(टी. के. अनिल कुमार)

कमरा नं. 21102, कर्तव्य भवन–2, नई दिल्ली–110001
Room No. 21102, Kartavya Bhavan-2, New Delhi- 110001
Tel.: +91-11-24015101, 24015102
E-mail : secy.sel@nic.in

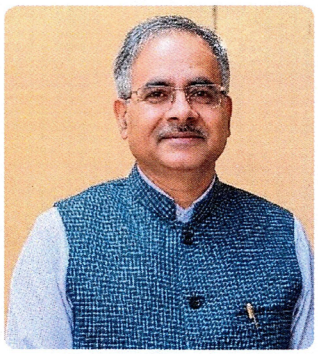

संदेश

शिक्षा और समाज का परस्पर संबंध व्यक्ति, समुदाय एवं राष्ट्र के समग्र विकास एवं सामाजिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार रहा है। इसी तथ्य के फलस्वरूप राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने समय-समय पर ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित किया है, जिनके माध्यम से शिक्षा संस्थानों, शिक्षकों और शिक्षार्थियों का जुड़ाव समुदाय और समाज की वास्तविक आवश्यकताओं से सार्थक रूप से हो सके। उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक-शिक्षा संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश इसी सतत प्रयास की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षक-शिक्षा को सामुदायिक सेवा, प्रौढ़ शिक्षा और अन्य सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने की आवश्यकता पर बल देती है। इसी भावना को व्यवहार में रूपांतरित करते हुए इन दिशा-निर्देशों में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों में अध्ययनरत सभी शिक्षक-शिक्षार्थियों को स्वयंसेवी शिक्षक के रूप में उल्लास से जोड़ने की व्यवस्था की गई है।

इन दिशा-निर्देशों की विशेषता यह है कि इनमें शिक्षक-शिक्षा संस्थान, शिक्षक-प्रशिक्षक और शिक्षक-शिक्षार्थी, तीनों को एक साझा शैक्षणिक एवं सामाजिक दायित्व से जोड़ा गया है। शिक्षक-शिक्षा संस्थान समुदाय के साथ कार्य करने के लिए आवश्यक वातावरण और संसाधन उपलब्ध कराएँगे, शिक्षक-प्रशिक्षक मार्गदर्शन एवं क्षमता-विकास में सहयोग करेंगे और शिक्षक-शिक्षार्थी स्वयं जन समुदाय में जाकर शिक्षार्थियों के साथ सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएँगे। इस प्रकार शिक्षक-शिक्षा का अनुभव कक्षा-कक्ष के वातावरण से निकलकर वास्तविक जीवन और समुदाय तक विस्तारित होगा।

मार्च 2021 से एन.सी.ई.आर.टी का राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र-प्रकोष्ठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर उल्लास के अन्तर्गत शिक्षार्थियों और स्वयंसेवी शिक्षकों हेतु विभिन्न सीखने-सिखाने के संसाधनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं नवोन्मेषी पद्धतियों का निरंतर विकास कर रहा है। प्रस्तुत दिशा-निर्देश इसी शैक्षणिक सहयोग को शिक्षक-शिक्षा के व्यापक तंत्र से जोड़ने का अवसर प्रदान करते हैं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पहल शिक्षक-शिक्षा संस्थानों में स्वयंसेवी भावना को संस्थागत रूप से प्रोत्साहित करने और भावी युवा शिक्षकों की ऊर्जा को राष्ट्रीय साक्षरता के उद्देश्य से जोड़ने के लिए प्रभावी साबित होंगी। साथ ही शिक्षा, स्वयंसेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व का यह संगम भारत के शैक्षिक परिदृश्य को अधिक समावेशी, संवेदनशील और समुदाय-केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

शुभकामनाओं सहित,

(दिनेश प्रसाद सकलानी)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली

प्रोफ़ेसर पंकज अरोड़ा
अध्यक्ष
Professor Pankaj Arora
Chairperson

गुरूर्गुरूतमो धाम
NCTE

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)



संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि शिक्षक-शिक्षा संस्थान 'उल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएँगे और ये दिशा-निर्देश उस दायित्व का निर्वहन करने में मदद करेंगे। निःसंदेह शिक्षक-शिक्षा संस्थान भारत के शैक्षिक परिदृश्य को आकार देने वाले महत्वपूर्ण संस्थान हैं। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षक-शिक्षा संस्थानों को भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण, बहुभाषी, अनुभवात्मक तथा जीवनपर्यंत सीखने की दिशा में रूपांतरित करने का बृहद दायित्व सौंपा है। इस नीति ने शिक्षक-शिक्षा संस्थानों को शिक्षण-कौशल विकसित करने के साथ-साथ भावी शिक्षकों में सामाजिक उत्तरदायित्व, संवेदनशीलता, नेतृत्व, सहयोग और राष्ट्र-निर्माण की भावना विकसित करने पर भी बल दिया है।

इसी दृष्टि से 'उल्लास' के अंतर्गत शिक्षक-शिक्षा संस्थानों, शिक्षक-शिक्षकों और शिक्षक-शिक्षार्थियों की सार्थक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इन दिशा-निर्देशों को तैयार किया गया है। इनके माध्यम से शिक्षक-शिक्षा संस्थानों में स्वयंसेविता को संस्थागत रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि शिक्षक-शिक्षार्थी अपने प्रशिक्षण के दौरान ही समुदाय के साथ जुड़कर अ-साक्षर शिक्षार्थियों के साक्षर बनने में, सामाजिक चेतना केंद्रों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण में सहयोग करने, संदर्भपरक शिक्षण-अधिगम-सामग्री विकसित करने तथा शिक्षार्थियों में जीवनपर्यंत सीखने की आदत विकसित करने में सक्रिय योगदान दे सकें। ये दिशा-निर्देश एक शिक्षक की व्यापक भूमिका को समझने तथा समुदाय में सीखने की संस्कृति विकसित करने और सामाजिक परिवर्तन को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि प्रत्येक शिक्षक-शिक्षा संस्थान अपने परिसर में स्वयंसेविता, जनभागीदारी और सामुदायिक सहभागिता की संस्कृति को सुदृढ़ करता है, तो यह प्रयास एक व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप ले सकता है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों तथा विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेगा। छात्र-शिक्षकों की ऊर्जा, शिक्षक-शिक्षकों का मार्गदर्शन और संस्थानों की सामूहिक प्रतिबद्धता मिलकर उन समुदायों तक शिक्षा एवं साक्षरता के अवसर पहुँचा सकती है, जहाँ इनकी सर्वाधिक आवश्यकता है।

मैं सभी शिक्षक-शिक्षा संस्थानों, शिक्षक-शिक्षकों एवं शिक्षक-शिक्षार्थियों का आह्वान करता हूँ कि वे इन दिशा-निर्देशों को केवल एक कार्यक्रम के रूप में न देखें, बल्कि इसे 'जन-जन साक्षर' के राष्ट्रीय संकल्प में अपनी सक्रिय भागीदारी के अवसर के रूप में अपनाएँ।

(पंकज अरोड़ा)

जी-7, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
G-7, Sector-10, Dwarka, New Delhi -110075
Phone : 91-11-20892165 | E-mail : cp@ncte-india.org | Website : www.ncte.gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY
KARTAVYA BHAVAN
NEW DELHI-110 001

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
कर्तव्य भवन
नई दिल्ली-110 001



अर्चना शर्मा अवस्थी
Archana Sharma Awasthi
अपर सचिव
Additional Secretary

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक नागरिक के लिए बुनियादी साक्षरता, शिक्षा तथा आजीविका के अवसर को मूलभूत अधिकारों के रूप में स्वीकार करती है। यह नीति व्यक्तिगत विकास, नागरिक सहभागित, आर्थिक प्रगति एवं जीवनपर्यंत सीखने को बढ़ावा देने में साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा की परिवर्तनकारी क्षमता को रेखांकित करती है। साथ ही यह पूर्ण साक्षरता के महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समुदाय की सहभागिता तथा प्रौद्योगिकी के सार्थक एकीकरण के साथ प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में सुदृढ़ एवं नवाचारी पहलों की आवश्यकता पर भी बल देती है।

इसी भावना के अनुरूप भारतीय संदर्भ में साक्षरता को *"समझ के साथ पढ़ने, लिखने और गणना करने तथा पहचानने, समझने, व्याख्या करने एवं सृजन करने की क्षमता के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता वित्तीय साक्षरता आदि जैसी महत्वपूर्ण जीवन-कौशलों से युक्त* होना" के रूप में परिभाषित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के असाक्षर युवाओं एवं वयस्कों को समावेश, समानतापूर्ण एवं आजीवन सीखने के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अवधारणा पर आधारित तथा सतत विकास लक्ष्य 4.6 के अनुरूप, उल्लास का उद्देश्य शिक्षार्थियों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान के साथ महत्वपूर्ण जीवन-कौशलों में सक्षम बनाना है जिससे वे सामाजिक, आर्थिक एवं नागरिक जीवन में सार्थक योगदान कर सकें।

उल्लास ने अपने बीजांकुर से ही जनभागीदारी, स्वयंसेविता एवं सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से साक्षरता कार्यक्रम को एक व्यापक जन आंदोलन में परिवर्तित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस सामूहिक प्रयास ने शिक्षार्थियों, स्वयंसेवी शिक्षकों, शैक्षणिक संस्थानों एवं समुदायों को 'जन जन साक्षर भारत' के साझा राष्ट्रीय संकल्प के लिए एक साथ जोड़ा है।

इस आंदोलन को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में शिक्षक-शिक्षा संस्थानों, शिक्षक-प्रशिक्षकों एवं शिक्षक-शिक्षार्थियों की उल्लास में भागीदारी एक महत्वपूर्ण एवं समयानुकूल कदम है। विशेष रूप से शिक्षक-शिक्षार्थी इस प्रयास में परिवर्तन के वाहक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वयंसेवी शिक्षकों के रूप में उनकी सहभागिता उन्हें असाक्षर शिक्षार्थियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने, उनकी आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों को समझने तथा स्थानीय भाषाओं एवं संदर्भों के अनुरूप शिक्षार्थी-केंद्रित उपागम अथवा शिक्षण-पद्धतियों को व्यवहार में अपनाने का अवसर प्रदान करती है। शिक्षक-प्रशिक्षक, मार्गदर्शक एवं समन्वयक के रूप में शिक्षक-शिक्षार्थियों को सार्थक साक्षरता संबंधी गतिविधियों के संचालन तथा समुदाय के साथ प्रभावी रूप से जुड़ने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

उल्लास में शिक्षक-शिक्षा संस्थानों की सहभागिता के लिए ये दिशा-निर्देश शिक्षक-शिक्षा संस्थान, शिक्षक-प्रशिक्षकों एवं शिक्षक-शिक्षार्थियों की भागीदारी हेतु एक सुव्यवस्थित रूपरेखा प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में सहभागिता के व्यापक क्षेत्रों को रेखांकित करते हुए शिक्षक-शिक्षा के साथ साक्षरता संबंधी गतिविधियों के एकीकरण के लिए आवश्यक दिशा प्रदान की गई है। साथ ही संस्थानों को स्थानीय आवश्यकताओं एवं संदर्भों के अनुरूप इन गतिविधियों को संचालित करने की आवश्यक स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है।

मैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, विभिन्न क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा विभागों की टीमों के योगदान के लिए अपना आभार व्यक्त करती हूँ , जिनके सहयोग के बिना इन दिशा-निर्देशों को तैयार करना संभव नहीं था। इन दिशा-निर्देशों को उपर्युक्त संस्थानों एवं उनमें कार्यरत संबंधित विशेषज्ञों के साथ आयोजित गहन क्षेत्रीय परामर्शों के पश्चात तैयार किया गया है। इस व्यापक परामर्श प्रक्रिया ने दिशा-निर्देशों को विभिन्न संस्थागत एवं क्षेत्रीय संदर्भों से प्राप्त अनुभवों एवं सुझावों से समृद्ध किया है।

मुझे विश्वास है कि इन दिशा-निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन शिक्षक-शिक्षा एवं राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम के बीच साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करेगा। मुझे आशा है कि प्रत्येक शिक्षक-शिक्षार्थी इस पहल को समाज से सीखने और समाज में योगदान देने के अवसर के रूप में अपनाएँगे तथा 'पूर्ण साक्षर' भारत की परिकल्पना को साकार करने में एक सक्रिय सहयोगी की भूमिका निभाएँगे।

अर्चना

(अर्चना शर्मा अवस्थी)

विषय-सूची

क्रम संख्या		पृष्ठ संख्या
1.	परिचय	01
2.	साक्षरता की नई परिभाषा एवं पूर्ण साक्षर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश घोषित करने के मानदंड	04
3.	दिशा-निर्देशों के उद्देश्य	04
4.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की भूमिका	05
5.	राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र-प्रकोष्ठ (CNCL), एन.सी.ई.आर.टी. (NCERT) की भूमिका	06
6.	उल्लास के क्रियान्वयन में सम्मिलित हितधारक	08
7.	शिक्षक-शिक्षा संस्थान	10
8.	सहायक लिंक	21
9.	उल्लास के अंतर्गत शिक्षक-शिक्षा को साक्षरता आंदोलन में रूपांतरित करने के प्रमुख बिंदु	22
10.	निष्कर्ष	23

1. परिचय

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से **उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम** *(ULLAS – Understanding of Lifelong Learning for All in Society)* का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की अनुशंसा के अनुरूप इस योजना का उद्देश्य 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के ऐसे असाक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाना है, जो पढ़ना-लिखना नहीं जानते तथा जिनमें बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान *(Foundational Literacy and Numeracy)* का अभाव है। यह योजना ऑफलाइन एवं ऑनलाइन माध्यमों *(Hybrid)* से **स्वयंसेवी भावना** *(Volunteerism)* के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य **कर्तव्यबोध एवं जनभागीदारी** की भावना से प्रेरित होकर **'जन-जन साक्षर'** भारत का निर्माण करना है।



विद्यालयों, उच्च शिक्षा संस्थानों *(HEIs)*, शिक्षक-शिक्षा संस्थानों *(TEIs)*, मेरा युवा भारत *(MY Bharat)*, एन.एस.एस *(NSS)*, एन.सी.सी *(NCC)*, नागरिक समाज संगठनों *(CSOs)*, समुदाय के सदस्यों, गृहिणियों, आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा शिक्षकों आदि को उल्लास के अंतर्गत स्वयंसेवी शिक्षक *(Volunteer Teachers - VTs)* के रूप में योगदान देने की अनुशंसा की गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति *2020* के अनुच्छेद *21.1* के अनुसार- *'बुनियादी साक्षरता प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना और जीविकोपार्जन का अवसर प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। साक्षरता और बुनियादी शिक्षा किसी व्यक्ति के वैयक्तिक, नागरिक, आर्थिक और जीवनपर्यंत शिक्षा के अवसरों की एक नवीन दुनिया को खोल देती है जो व्यक्ति को निजी और पेशेवराना, दोनों ही स्तरों पर आगे बढ़ने में मदद करती है। समाज और देश के स्तर पर साक्षरता और बुनियादी शिक्षा एक ऐसी शक्ति के रूप में काम करती है जो विकास हेतु किये जा रहे अन्य सभी प्रयासों की सफलता को कई गुना बढ़ा देती है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के आँकड़े यह दर्शाते हैं कि किसी देश की साक्षरता दर और उसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी में उच्चतर सहसंबंध होता है।'*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति *2020* के अनुच्छेद *15.6* के अनुसार – *'अध्यापक शिक्षा प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थान, शिक्षा और इससे संबंधित विषयों के साथ ही साथ विशेष विषयों में विशेषज्ञों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान के पास सघन जुड़ाव के साथ काम करने के लिए सार्वजनिक और निजी स्कूलों और स्कूल परिसरों का एक नेटवर्क होगा, जहाँ भावी शिक्षक अन्य सहायक गतिविधियों जैसे सामुदायिक सेवा, वयस्क और व्यावसायिक शिक्षा, आदि में सहभागिता के साथ शिक्षण का कार्य करेंगे।'*

उल्लास के पाँच प्रमुख घटक



(क) बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान *(Foundational Literacy and Numeracy)*

(ख) महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल *(Critical Life Skills)*, (इसमें वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य एवं जागरूकता, बाल देखभाल एवं शिक्षा, परिवार कल्याण शामिल है।)

(ग) व्यावसायिक कौशल विकास (*Vocational Skills Development)*, (जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त करने की क्षमता विकसित हो।)

(घ) बुनियादी शिक्षा (*Basic Education)* - (इसमें प्रारंभिक, मध्य एवं माध्यमिक स्तर की समकक्ष शिक्षा सम्मिलित है।)

(ङ) सतत शिक्षा (*Continuing Education)* - (इसमें कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेल एवं मनोरंजन जैसे विषयों पर समग्र प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रमों का संचालन तथा स्थानीय शिक्षार्थियों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य विषयों पर शिक्षण की व्यवस्था शामिल है। इसमें महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल से संबंधित उन्नत अध्ययन सामग्री भी सम्मिलित है।)

1.1. उल्लास मोबाइल ऐप

उल्लास के अंतर्गत शिक्षार्थियों एवं स्वयंसेवी शिक्षकों के पंजीकरण एवं सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को सुलभ व सरल बनाने हेतु विशेष रूप से उल्लास मोबाइल ऐप एवं पोर्टल विकसित किया गया है। (सभी शिक्षार्थियों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने तथा समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षार्थी केंद्रित प्रवेशिकाओं *(Primers)*, डिजिटल माध्यमों और सामुदायिक शिक्षण केंद्रों के माध्यम से शिक्षण-सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है।) इस ऐप के माध्यम से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा उल्लास के अंतर्गत विकसित 27 भाषाओं में उपलब्ध संक्षिप्त प्रवेशिकाओं और एन.सी.ई.आर.टी के सहयोग से भारतीय भाषा संस्थान *(CIIL)* द्वारा विकसित 121 भारतीय भाषाओं की प्रवेशिका उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें ऐसी जनजातीय भाषाएँ भी शामिल हैं जिन्हें कम से कम 10,000 लोग बोलते हैं।

उल्लास पोर्टल का उपयोग डिजिटल रूप से सक्षम बनाने एवं निगरानी *(Digital Enablement & Monitoring)* के लिए किया जाता है, जैसे –



2. साक्षरता की नई परिभाषा एवं पूर्ण साक्षर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश घोषित करने के मानदंड

अगस्त 2024 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप साक्षरता की नई परिभाषा तथा राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को पूर्ण साक्षर घोषित करने के मानदंड जारी किए गए। इन निर्देशों के आधार पर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने पूर्ण साक्षर बनने की दिशा में अपनी रणनीतियाँ एवं कार्य-योजनाएँ तैयार कर श्रेष्ठ कार्य-प्रणालियों को अपनाया है।

2.1. साक्षरता की परिभाषा: *साक्षरता समझ के साथ पढ़ने, लिखने और गणना करने की क्षमता है, जैसे कि पहचान करना, समझना, व्याख्या करना और सृजन करना। इसमें डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता आदि जैसे महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल भी सम्मिलित हैं।*

2.2. पूर्ण साक्षर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश घोषित करने का मानदंड: *किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर 95 प्रतिशत या उससे अधिक की स्थिति में उसे पूर्ण साक्षर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश माना जा सकता है। यह मानदंड इस स्वीकार्यता पर आधारित है कि अत्यधिक आयु अथवा बौद्धिक दिव्यांगता जैसे कारणों से 100 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।*

3. दिशा-निर्देशों के उद्देश्य

- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् *(NCTE)* द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित शिक्षक-शिक्षार्थियों की स्वयंसेवी शिक्षक *(Volunteer Teacher–VT)* के रूप में अनिवार्य सहभागिता के लिए आवश्यक मापदंड निर्धारित करना।
- प्रत्येक शिक्षक-शिक्षार्थी को उसके शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि के अनुसार कम-से-कम 5 से 8 असाक्षर शिक्षार्थियों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान *(Foundational Literacy and Numeracy–FLN)* प्रदान करने हेतु सक्षम एवं उत्तरदायी बनाना।
- इस गतिविधि के लिए शिक्षक-शिक्षार्थियों को शैक्षणिक या अकादमिक क्रेडिट अथवा समकक्ष ग्रेड/अंक प्रदान करने का प्रावधान करना।

3.1. अपेक्षित परिणाम

- प्रत्येक शिक्षक-शिक्षार्थी कम-से-कम 5 से 8 असाक्षर शिक्षार्थियों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान आकलन परीक्षा *(FLNAT)* में सम्मिलित होने और 'साक्षर' बनने में योगदान देते हैं।
- शिक्षक-शिक्षार्थियों को शैक्षणिक क्रेडिट तभी प्रदान किए जाएँगे, जब उनके शिक्षार्थी उल्लास के अंतर्गत 'साक्षर' प्रमाणित किए जाएँगे।
- शिक्षक-शिक्षार्थी 'पूर्ण साक्षर' भारत के लिए योगदान देते हैं।

4. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की भूमिका

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् *(National Council for Teacher Education)* भारत सरकार के अधीन एक वैधानिक निकाय है, जिसे देशभर में शिक्षक-शिक्षा के सुनियोजित एवं समन्वित विकास को सुनिश्चित करने तथा शिक्षक शिक्षा से संबंधित मानकों एवं गुणवत्ता के निर्धारण, विनियमन एवं अनुरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता, प्रासंगिकता तथा एकरूपता सुनिश्चित करते हुए सक्षम, उत्तरदायी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षक तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

उल्लास के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की भूमिका

(i) उल्लास के अंतर्गत शिक्षक-शिक्षा संस्थान के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के उद्देश्यों की प्रभावी रूप से प्राप्ति सुनिश्चित करना।

(ii) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा उल्लास के अंतर्गत समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं अन्य निर्देशों का नियमित रूप से शिक्षक शिक्षा संस्थानों तक संप्रेषण करना।

(iii) उल्लास की गतिविधियों के लिए उपयुक्त शैक्षणिक क्रेडिट निर्धारित करना। शिक्षक-शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निर्धारित लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्राप्त करने वालों के लिए उच्च ग्रेड/अंक का प्रावधान भी किया जा सकता है।

(iv) राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र प्रकोष्ठ (CNCL) तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सहयोग से उल्लास के लिए आवश्यकता अनुसार अभिमुखीकरण (Orientation)/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(v) उल्लास ऐप/पोर्टल पर शिक्षक शिक्षा संस्थानों को ऑनबोर्ड करने के लिए संस्थानों की सूची, उनके नोडल अधिकारियों के नाम एवं संपर्क आदि का विवरण स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय को उपलब्ध कराना।

(vi) उल्लास के पूर्ण समन्वय के लिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना।

4.1 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के वेब लिंक :

- **एक्स (पूर्व में ट्विटर):** https://x.com/NCTE_Official
- **इंस्टाग्राम:** https://www.instagram.com/ncte_official/
- **फेसबुक:** https://www.facebook.com/NCTE.Official
- **थ्रेड्स (Threads):** https://www.threads.net/@ncte_official
- **यूट्यूब:** https://www.youtube.com/@NCTE_Official

5. राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र-प्रकोष्ठ (CNCL), एन.सी.ई.आर.टी. *(NCERT)* की भूमिका

5.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के अनुसार मार्च 2021 में एनसीईआरटी में उल्लास कार्यक्रम में अकादमिक सहयोग के लिए राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र -प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। इसी प्रकार से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् में राज्य साक्षरता केंद्र (SCL) स्थापित किए गए हैं।

शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र- प्रकोष्ठ सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य कर रहा है। यह असाक्षर शिक्षार्थियों, स्वयंसेवी शिक्षकों तथा अन्य साझेदारों के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण-अधिगम एवं संदर्भ सामग्री का निरंतर विकास करता है। इन संसाधन सामग्रियों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित शामिल हैं –

- प्रवेशिका (Primers)
- स्वयंसेवी शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका
- बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान पर आधारित कार्यपत्रक (Worksheets)
- उदाहरण स्वरूपी प्रश्न-उत्तर पुस्तिकाएँ (Sample FLNAT Test Papers)
- उल्लास के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता व संख्याज्ञान पर आधारित आकलन सामग्री (Assessment Items)
- उल्लास सीखने-सिखाने की सामग्री संकलन (Compendium)
- वीडियो कार्यक्रम सीरीज़ 'साक्षरता की डगर पर'

5.2 सीखने-सिखाने की सामग्री *(Teaching-Learning Materials–TLMs)* असाक्षर शिक्षार्थियों को पढ़ना, लिखना एवं गणित सीखने में श्रव्य-दृश्य *(Audio-Visual)* माध्यमों के द्वारा सहायता प्रदान करती है। इन सामग्रियों में निम्नलिखित संसाधन सम्मिलित हैं, जैसे - ऑडियो-वीडियो कार्यक्रम, एनिमेटेड फिल्में, महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल पर आधारित कहानी की पुस्तकें, प्रचार-प्रसार सामग्री, जैसे -

- जिंगल *(Jingles)*
- वृत्तचित्र *(Documentaries)*
- फ्लायर्स *(Flyers)*
- मोनोग्राफ्स *(Monographs)*
- सूचना पुस्तिका *(Informative Booklets)*

5.3 ये सभी संसाधन अंग्रेज़ी के साथ-साथ 27 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं। इन्हें उल्लास ऐप, एन.सी.ई.आर.टी. वेबसाइट पर उपलब्ध सी.एन.सी.एल. वेब पेज, दीक्षा (DIKSHA) पोर्टल के *'Education for All'* अनुभाग तथा एन.सी.ई.आर.टी. के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, पीएम ई-विद्या *(PM e-Vidya)* का डीटीएच चैनल-14 विशेष रूप से उल्लास के लिए समर्पित है जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों, स्वयंसेवी शिक्षकों, प्रमुख पदाधिकारियों एवं अन्य साझेदारों के बीच जागरूकता बढ़ाना तथा सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है।

5.4 राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र प्रकोष्ठ (CNCL) सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को उनके समाज-सांस्कृतिक संदर्भों के अनुरूप शिक्षार्थी-केंद्रित संसाधन सामग्री के विकास हेतु शैक्षणिक सहयोग प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह उल्लास के अंतर्गत प्रमुख पदाधिकारियों एवं सभी साझेदारों (Stakeholders) के लिए अभिमुखीकरण *(Orientation)* एवं क्षमता-संवर्धन *(Capacity Building)* कार्यक्रमों का आयोजन करता है। शिक्षक-शिक्षा संस्थानों के लिए तैयार किए गए इन दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन के दौरान, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अनुरोध पर यह केंद्र शिक्षक-शिक्षा संस्थानों के नोडल अधिकारियों को अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।

5.5 राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र प्रकोष्ठ (CNCL), एनसीईआरटी एवं अन्य उपयोगी वेब लिंक

- **एन.सी.ई.आर.टी. (NCERT) वेबसाइट-** https://ncert.nic.in/
- **सी.एन.सी.एल. (CNCL), एनसीईआरटी-** https://ncert.nic.in/cncl/
- **फेसबुक पेज-** https://www.facebook.com/profile.php?id=100092449066375
- **यूट्यूब चैनल-** https://www.youtube.com/c/NCERTOFFICIAL
- **इंस्टाग्राम-** https://www.instagram.com/ncertindia/?hl=en
- **लिंक्डइन-** https://in.linkedin.com/company/national-council-of-educational-research-and-training-ncert
- **एक्स (पूर्व में ट्विटर)-** https://x.com/ncert
- **पीएम ई-विद्या डीटीएच चैनल-** चैनल संख्या **14**

6. उल्लास के क्रियान्वयन में सम्मिलित हितधारक

6.1 उल्लास का क्रियान्वयन ढाँचा

उल्लास का क्रियान्वयन बहु-स्तरीय संरचना के माध्यम से किया जाएगा जिसमें प्रत्येक स्तर पर शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं।

6.1.1 राष्ट्रीय स्तर

(क) **स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग -** यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है।

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र-प्रकोष्ठ के परामर्श से शिक्षक-शिक्षा संस्थानों की सक्रिय सहभागिता के माध्यम से इन दिशा-निर्देशों को जारी करने एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

(ग) राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र-प्रकोष्ठ- राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र-प्रकोष्ठ स्वयंसेवकों, मास्टर प्रशिक्षकों एवं शिक्षक-प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण, शिक्षार्थियों तथा अन्य सभी साझेदारों के लिए संसाधन सामग्री के विकास एवं स्थानीय संदर्भों के अनुसार रूपांतरण (Contextualization) सहित आवश्यक शैक्षणिक सहयोग प्रदान करेगा।

6.1.2 राज्य स्तर

(क) राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण - राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (SLMA) इन दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगा। यह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी दिशा-निर्देशों सहित राष्ट्रीय स्तर के दिशा-निर्देशों के अनुरूप क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा तथा



असाक्षर शिक्षार्थियों से संबंधित आँकड़े शिक्षक-शिक्षा संस्थानों के साथ साझा एवं समन्वित करेगा। योजना के मौजूदा मानदंडों के अनुसार राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा सभी स्वयंसेवी शिक्षकों (शिक्षक-शिक्षार्थियों) को संक्षिप्त प्राइमर/शिक्षण-अधिगम सामग्री (TLM) उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् - राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् इन दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण तथा राज्य साक्षरता केंद्र के साथ समन्वय एवं सहयोग हेतु एक समर्पित समूह/प्रकोष्ठ का गठन करेगी।

(ग) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् एवं राज्य साक्षरता केंद्र- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को शैक्षणिक सहयोग प्रदान कराया जाएगा। इसके साथ ही राज्य साक्षरता केंद्र, एस.एल.एम.ए एवं एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करेगा।

6.1.3 जिला स्तर

जिला स्तर पर इन दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन निम्नलिखित संस्थाओं एवं तंत्रों के माध्यम से संचालित किया जाएगा—

(क) जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण *(DLMA)*/जिला शिक्षा अधिकारी *(DEO)*/अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी *(DAEO)* – ये संस्थाएँ/अधिकारी दिशा-निर्देशों के नियोजन, समन्वय, पर्यवेक्षण एवं अनुवीक्षण *(Monitoring)* के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ख) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान *(District Institute of Education and Training–DIETs)* डायट शिक्षक-शिक्षार्थियों एवं सेवारत शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण पूर्व-सेवा (Pre-service) तथा सेवाकालीन *(In-service)* शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत डायट को प्रमुख शैक्षणिक एवं क्रियान्वयन इकाई के रूप में नामित किया जा सकता है।

(ग) शिक्षक-शिक्षा संस्थान – उल्लास के अंतर्गत क्रियान्वयन की रणनीति शैक्षणिक उत्कृष्टता, संस्थागत सहभागिता तथा सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। इस दृष्टि से शिक्षक-शिक्षा संस्थानों (TEIs) को निम्नलिखित उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं—

- राज्यों के राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के आधार पर असाक्षर शिक्षार्थियों का पंजीकरण।
- शिक्षक-शिक्षार्थियों को उल्लास में पंजीकृत शिक्षार्थियों का आवंटन।
- शिक्षक-शिक्षार्थियों को स्वयंसेवी शिक्षक के रूप में सक्रिय करना एवं उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना।

- उल्लास के अंतर्गत उपलब्ध सीखने-सिखाने की सामग्री का उपयोग करते हुए सीखने-सिखाने की गतिविधियों का आयोजन।
- नोडल अधिकारियों एवं शिक्षक-प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन।
- उल्लास पोर्टल पर शिक्षार्थियों एवं शिक्षक-शिक्षार्थियों से संबंधित आँकड़ों का संधारण एवं अद्यतन।

6.2 विद्यालय/सामाजिक चेतना केंद्र (SCKs) – प्रौढ़ शिक्षा के लिए ज़मीनी स्तर के शिक्षण-केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। विद्यालयों का उपयोग विद्यालय समय के उपरांत सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में किया जाता है, जिससे साक्षरता संबंधी गतिविधियों के लिए उपलब्ध आधारभूत अवसंरचना, विशेष रूप से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सुविधाओं का प्रभावी एवं अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। शिक्षक-शिक्षा संस्थान स्वयंसेवी शिक्षकों को शिक्षार्थियों के साथ जोड़ने एवं सीखने-सिखाने की गतिविधियों के संचालन के लिए इन केंद्रों के साथ समन्वय एवं सहयोग स्थापित कर सकते हैं।

7. शिक्षक-शिक्षा संस्थान

शिक्षक-शिक्षा संस्थान, वह महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय हैं, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा पूर्व-सेवा एवं सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए मान्यता प्रदान की गई है। इनमें एकीकृत शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम (ITEP), डी.एल.एड. (D.El.Ed.), बी.पी.एड. (B.P.Ed.), बी.एड. (B.Ed.), एम.एड. (M.Ed.), एम.पी.एड. (M.P.Ed.) आदि कार्यक्रम शामिल हैं। शिक्षक-शिक्षा संस्थान शैक्षणिक ज्ञान को व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं सामुदायिक सहभागिता के साथ जोड़कर सक्षम, नैतिक एवं सामाजिक रूप से उत्तरदायी शिक्षकों के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

7.1 भारत में शिक्षक-शिक्षा संस्थान

वर्तमान में भारत में **15,509 मान्यता प्राप्त शिक्षक-शिक्षा संस्थान कार्यरत हैं,** जिनमें कुल **17,84,326 स्वीकृत सीटें** उपलब्ध हैं। यह संख्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के नियामक दायरे के अंतर्गत विकसित व्यापक संस्थागत ढाँचे को दर्शाती है। *(स्रोत- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय वर्ष 2024–25)*

7.2 शिक्षक शिक्षा संस्थानों की भूमिका

7.2.1 सभी शिक्षक-शिक्षा संस्थान अपने संस्थानाध्यक्ष द्वारा नामित नोडल अधिकारी(यों) को उल्लास से संबंधित उत्तरदायित्व सौंपेंगे। नोडल अधिकारी संस्थान में इन दिशा-निर्देशों के नियोजन, अनुवीक्षण (Monitoring) एवं प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, वे राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, जिला शिक्षा अधिकारी, स्वयंसेवी शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे।

7.2.2 शिक्षक-शिक्षा संस्थान, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, राज्य साक्षरता केंद्र तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् जैसी राज्य स्तरीय संस्थाओं के साथ समन्वय एवं सहयोग स्थापित करेंगे ताकि असाक्षर शिक्षार्थियों की पहचान एवं टैगिंग, शैक्षणिक सहयोग, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा (FLNAT) तथा अन्य संबंधित गतिविधियों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

7.2.3 शिक्षक-शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र-प्रकोष्ठ, एनसीईआरटी, राज्य साक्षरता केंद्र, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के साथ समन्वय स्थापित कर उल्लास के अंतर्गत शिक्षक-प्रशिक्षकों के अभिमुखीकरण एवं क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं।

7.2.4 शिक्षक-शिक्षा संस्थान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लास का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रहे अन्य संस्थानों के साथ भी सहयोग एवं समन्वय स्थापित कर सकते हैं।

7.2.5 शिक्षक-शिक्षा संस्थान, सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, यूडाइस (UDISE) में पंजीकृत अन्य विद्यालयों, पंचायती राज संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), नगर निकायों तथा सामुदायिक आधारित संगठनों के साथ सहयोग एवं समन्वय स्थापित कर उपयुक्त शिक्षण स्थलों की पहचान कर सकते हैं तथा सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को सुगम एवं प्रभावी बना सकते हैं।

7.2.6 शिक्षक-शिक्षा संस्थान, सामाजिक चेतना केंद्र संबंधी दिशा-निर्देशों की अनुशंसाओं के अनुरूप अपने-अपने संस्थानों में सामाजिक चेतना केंद्र की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण कर सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार, वे राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, राज्य साक्षरता केंद्र तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के परामर्श से समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप सामाजिक चेतना केंद्रों को और अधिक सशक्त बना सकते हैं। यदि संस्थान परिसर में पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो तथा आस-पास के क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में शिक्षार्थी हों तो शिक्षक-शिक्षा संस्थान अपने परिसर ही में सामाजिक चेतना केंद्र के संचालन की सुविधा भी उपलब्ध करा सकते हैं।

7.2.7 शिक्षक-शिक्षा संस्थान नोडल अधिकारियों, शिक्षक-प्रशिक्षकों तथा शिक्षक-शिक्षार्थियों को व्यापक लॉजिस्टिक एवं शैक्षणिक सहयोग प्रदान करेंगे। इसके अंतर्गत सीखने-सिखाने की सामग्री की उपलब्धता तथा आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ सुनिश्चित करना भी शामिल होगा।

7.2.8 शिक्षक-शिक्षा संस्थान उल्लास से जुड़े शिक्षक प्रशिक्षकों एवं शिक्षक-शिक्षार्थियों के लिए समय-समय पर अभिमुखीकरण, क्षमता संवर्धन कार्यक्रम तथा क्षमता संवर्धन कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।

7.2.9 शिक्षक-शिक्षा संस्थान उल्लास के अंतर्गत सीखने-सिखाने की सामग्री तथा क्षेत्रीय प्रलेखन *(Field Documentation)* के भंडार (Repository) के रूप में कार्य करेंगे। साथ ही वे शिक्षार्थियों तक पहुँच सुनिश्चित

करने के लिए विद्यालयों अथवा सामुदायिक परिसरों में स्थापित निकटवर्ती सामाजिक चेतना केंद्रों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

7.2.10 शिक्षक-शिक्षा संस्थान उल्लास की गतिविधियों को वार्षिक योजना तथा नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से संस्थागत स्वरूप प्रदान करेंगे ताकि योजना का प्रभावी एवं सुव्यवस्थित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

7.2.11 प्रत्येक शिक्षक-शिक्षार्थी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपने शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम की अवधि के अनुसार **कम से कम 5-8 शिक्षार्थियों** को शिक्षित कर, उन्हें बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा (FLNAT) में सम्मिलित होने के लिए सहयोग प्रदान करे तथा उन्हें उल्लास के अंतर्गत प्रमाणित साक्षर बनाए। कार्यक्रमवार शिक्षार्थियों के लक्ष्य निम्नानुसार होंगे—

क्रम संख्या	शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि	कार्यक्रम की पूरी अवधि में प्रमाणित साक्षर बनाए जाने वाले शिक्षार्थियों की न्यूनतम संख्या
1	2 वर्ष	न्यूनतम 5 शिक्षार्थी
2	3 वर्ष	न्यूनतम 6 शिक्षार्थी
3	4 वर्ष	न्यूनतम 8 शिक्षार्थी

7.2.12 शिक्षक-शिक्षार्थियों को शैक्षणिक क्रेडिट अथवा समकक्ष ग्रेड/अंक तभी प्रदान किए जाएँगे, जब उनके द्वारा शिक्षित एवं आवंटित शिक्षार्थी सफलतापूर्वक बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा में सम्मिलित होकर **उल्लास के अंतर्गत साक्षर** प्रमाणित किए जाएँ। इस योजना के अंतर्गत इस परीक्षा का आयोजन वर्ष में दो बार किया जाता है।

7.2.13 उल्लास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुविचारित रणनीतिक योजना आवश्यक है, जिसे शिक्षक-शिक्षा संस्थानों (TEIs) द्वारा निम्नलिखित दो मॉडलों के माध्यम से लागू किया जा सकता है-

- मॉडल–I : संस्थागत टैगिंग (Institutional Tagging)
- मॉडल–II : व्यक्तिगत टैगिंग (Individual Tagging)

मॉडल–I : संस्थागत टैगिंग	मॉडल–II : व्यक्तिगत टैगिंग
शिक्षक-शिक्षा संस्थानों की आईडी बनाई जाएगी तथा उसे बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा के लिए संबंधित विद्यालय के यू-डाइस (UDISE) कोड से जोड़ा जाएगा।	शिक्षक-शिक्षार्थी, शिक्षक-प्रशिक्षक के सहयोग से UDISE संख्या अथवा पिन कोड का उपयोग करते हुए उल्लास ऐप पर स्वयंसेवी शिक्षक के रूप में पंजीकरण करेंगे।
शिक्षक-शिक्षा संस्थानों को उल्लास पोर्टल पर टैग किया जाएगा।	शिक्षक-शिक्षार्थी इच्छानुसार स्वयं असाक्षर शिक्षार्थियों की पहचान एवं चयन कर सकते हैं।
राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण उस क्षेत्र में पंजीकृत असाक्षर शिक्षार्थियों एवं स्वयंसेवी शिक्षकों की संख्या के आधार पर शिक्षक-शिक्षा संस्थानों को असाक्षर शिक्षार्थियों का आवंटन कर सकता है।	शिक्षक-शिक्षार्थी शिक्षार्थियों का उल्लास पोर्टल पर पंजीकरण कराएँगे तथा शिक्षक-शिक्षा संस्थान को इसकी सूचना देंगे ताकि दोनों की टैगिंग सुनिश्चित की जा सके।
शिक्षक-शिक्षा संस्थान आगे चलकर शिक्षक-शिक्षार्थियों को उल्लास के अंतर्गत पंजीकृत शिक्षार्थी आवंटित करेगा तथा शिक्षार्थियों एवं स्वयंसेवी शिक्षकों दोनों का उल्लास ऐप पर पंजीकरण एवं टैगिंग सुनिश्चित करेगा।	

7.2.14 जिन क्षेत्रों में उल्लास के लिए निर्धारित शैक्षणिक क्रेडिट के अनुरूप पर्याप्त संख्या में असाक्षर शिक्षार्थी उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ शिक्षक-शिक्षार्थियों को उल्लास के शैक्षणिक क्रेडिट के अंतर्गत निम्नलिखित वैकल्पिक गतिविधियाँ आवंटित की जा सकती हैं—

- उत्तर-साक्षरता (post-literacy) गतिविधियाँ, जैसे नवसाक्षरों को मुक्त बुनियादी शिक्षा (Open Basic Education–OBE), एन.आई.ओ.एस. (NIOS) से जोड़ना।
- सामाजिक चेतना केंद्र को सुदृढ़ बनाने तथा प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों में सहयोग करना।
- नवसाक्षरों को व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ना।
- सामाजिक चेतना केंद्र, मुक्त बुनियादी शिक्षा अथवा अन्य समान पहलों पर शोध-आधारित गतिविधियों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य (Field Work) में सहभागिता करना।

उल्लास में शिक्षक-शिक्षा संस्थानों की भूमिका

- शिक्षक-शिक्षा संस्थान के संस्थान-प्रमुख उल्लास के समग्र प्रभारी होंगे। वे उल्लास के अंतर्गत एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे, जो शिक्षक-शिक्षार्थियों को समुदाय में सीखने-सिखाने की गतिविधियों के संचालन में सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
- उल्लास ऐप पर पंजीकरण से संबंधित विवरण नोडल अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- प्रत्येक शिक्षक-प्रशिक्षक नोडल अधिकारी (उल्लास) द्वारा निर्धारित संख्या में शिक्षक-शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण करेंगे।
- प्रत्येक शिक्षक-शिक्षार्थी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह कार्यक्रम की अवधि एवं प्रकृति के अनुसार कम-से-कम 5 से 8 शिक्षार्थियों को शिक्षित करे, उन्हें बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा (FLNAT) में सम्मिलित होने के लिए सहयोग प्रदान करे तथा उन्हें उल्लास के अंतर्गत साक्षर प्रमाणित करवाएँ।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के साथ समन्वय स्थापित करना तथा उल्लास के दिशा-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर संस्थान द्वारा किए गए हस्तक्षेपों एवं गतिविधियों को अपडेट करना।
- जिन परिस्थितियों में पर्याप्त संख्या में शिक्षार्थी उपलब्ध न हों, उन स्थितियों में स्वयंसेवी शिक्षकों को निम्नलिखित गतिविधियाँ सौंपना—
  - उत्तर-साक्षरता गतिविधियाँ, जैसे नवसाक्षरों को मुक्त बुनियादी शिक्षा, एन.आई.ओ.एस से जोड़ना।
  - सामाजिक चेतना केंद्र को सुदृढ़ बनाने तथा प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों में सहयोग करना।
  - नवसाक्षरों को व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ना।
  - सामाजिक चेतना केंद्र, मुक्त बुनियादी शिक्षा, क्षेत्रीय कार्य (Field Work) अथवा अन्य समान पहलों से संबंधित शोध-आधारित गतिविधियों में सहभागिता करना।

7.3 नोडल अधिकारियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

7.3.1 नोडल अधिकारी शिक्षक-शिक्षा संस्थान में उल्लास के क्रियान्वयन के समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे। वे उल्लास कार्यक्रम के प्रभावी नियोजन, अनुवीक्षण तथा क्रियान्वयन को सुगम एवं व्यवस्थित बनाने की ज़िम्मेदारी निभाएँगे।

7.3.2 नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षक-प्रशिक्षकों को शिक्षक-शिक्षार्थियों का स्वयंसेवी शिक्षक के रूप में पंजीकरण, उल्लास ऐप पर पंजीकृत असाक्षर शिक्षार्थियों के साथ स्वयंसेवी शिक्षकों की टैगिंग तथा उससे संबंधित सभी प्रक्रियाओं के बारे में समुचित जानकारी प्रदान हो।

7.3.3 नोडल अधिकारी उल्लास की पहलों को शिक्षक-शिक्षा संस्थानों के शैक्षणिक कैलेंडर, प्रायोगिक प्रशिक्षण (Practicum), सामुदायिक सहभागिता/कार्य, क्षेत्रीय कार्य, विद्यालय संलग्नता कार्यक्रम (School Attachment Programme), पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण गतिविधियों के साथ समन्वित एवं एकीकृत करेंगे।

7.3.4 नोडल अधिकारी उल्लास की पहलों के समर्थनार्थ नियमित अंतराल पर शिक्षक-प्रशिक्षकों (Teacher Educators) के लिए उन्मुखीकरण (Orientation) एवं क्षमता-संवर्धन (Capacity Building) कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इन कार्यक्रमों के निम्नलिखित विषय होंगे—

- उल्लास योजना तथा उसके पाँच घटकों का परिचय
- शिक्षक-शिक्षा संस्थानों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व
- बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान (FLN) संबंधी सीखने-सिखाने की प्रक्रिया
- *बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा (FLNAT)*
- सामाजिक चेतना केंद्र की भूमिका
- उल्लास मोबाइल ऐप/पोर्टल का उपयोग
- शिक्षार्थियों एवं स्वयंसेवी शिक्षकों के लिए सीखने-सिखाने की सामग्री

7.3.5 नोडल अधिकारी निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित करेंगे—

i. शिक्षक-शिक्षा संस्थानों के लिए असाक्षर शिक्षार्थियों की सूची प्राप्त करने हेतु राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (SLMA) के साथ समन्वय स्थापित करना।

ii. उल्लास ऐप पर शिक्षक-शिक्षार्थियों को असाक्षर शिक्षार्थियों के साथ संस्थागत अथवा व्यक्तिगत स्तर पर टैगिंग करना सुनिश्चित करना। आवश्यकता होने पर प्रत्येक शिक्षक-शिक्षार्थी अपने स्तर पर कम-से-कम 5 असाक्षर शिक्षार्थियों का सर्वेक्षण कर, नोडल अधिकारी के परामर्श से उन्हें उल्लास ऐप पर टैग कर सकते हैं।

iii. कार्यक्रम के प्रभावी एवं सुचारु क्रियान्वयन के लिए विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना तथा आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करना।

iv. कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों, शिक्षार्थी-केंद्रित सिखाने की पद्धतियाँ तथा पाठ्यक्रम एकीकरण, सीखने-सिखाने की प्रक्रिया एवं सामाजिक चेतना केंद्र के प्रबंधन से संबंधित अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।

v. सामुदायिक आधारित साक्षरता पहलों की अल्पकालिक हस्तक्षेपों के बाद भी निरंतरता बनाए रखने के लिए रणनीतियाँ विकसित करना तथा शिक्षार्थियों को डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक कौशल एवं सतत शिक्षा कार्यक्रमों की ओर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करना।

vi. कार्यक्रम की गतिविधियों, शिक्षार्थियों के सीखने के प्रतिफलों तथा शिक्षक-शिक्षार्थियों के प्रदर्शन से संबंधित प्रगति का विवरण संस्थान-प्रमुख, जिला एवं राज्य स्तर के उल्लास अधिकारियों के साथ नियमित रूप से साझा करना तथा आवश्यक समन्वय बनाए रखना।

उल्लास में नोडल अधिकारी की भूमिका

- शिक्षक-प्रशिक्षकों को शिक्षक-शिक्षार्थियों के पंजीकरण, उन्हें असाक्षर शिक्षार्थियों से टैग करने की प्रक्रिया तथा उल्लास ऐप/पोर्टल पर उनके पंजीकरण के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
- उल्लास के अंतर्गत कार्यरत जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर शिक्षक-शिक्षा संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले असाक्षर व्यक्तियों की सूची प्राप्त करना।
- विद्यालयों, ग्राम पंचायतों, नगर निकायों तथा अन्य स्थानीय संस्थानों के साथ समन्वय एवं सहयोग स्थापित कर शिक्षण केंद्रों की पहचान करना तथा सीखने-सिखाने की प्रक्रिया एवं आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- समुदाय में उल्लास के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शिक्षक-शिक्षार्थियों को आवश्यक सहयोग एवं सुविधा प्रदान करना।
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी चुनौती या कठिनाई से संस्थान-प्रमुख को अवगत कराना।

7.4 शिक्षक-प्रशिक्षकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

शिक्षक-प्रशिक्षक साक्षरता पहलों को सुदृढ़ बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे संस्थानों, सहकर्मी शिक्षकों (Peer Educators) तथा शिक्षक-शिक्षार्थियों को शैक्षणिक मार्गदर्शन, क्षमता निर्माण संबंधी सहयोग एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही, वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा राज्य एवं जिला स्तर पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप उल्लास की गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हैं।

7.4.1 शिक्षक-प्रशिक्षक नोडल अधिकारी(यों) को उल्लास की गतिविधियों के नियोजन, समन्वय एवं प्रभावी क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

7.4.2 शिक्षक-प्रशिक्षक यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे कि उनके शिक्षक-शिक्षार्थी अपने शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम के दौरान कम-से-कम 5 से 8 असाक्षर शिक्षार्थियों को पढ़ाते हुए उन्हें *बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा (FLNAT)* में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।

7.4.3 शिक्षक-प्रशिक्षक नियमित अंतराल पर शिक्षक-शिक्षार्थियों के लिए अभिमुखीकरण एवं क्षमता निर्माण सत्र आयोजित करेंगे। इन सत्रों में सम्मिलित विषय इस प्रकार हो सकते हैं - उल्लास कार्यक्रम एवं उससे संबंधित शिक्षा-शास्त्र की समझ, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान की सीखने-सिखाने संबंधी प्रक्रिया, *बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा*, उल्लास ऐप/पोर्टल का उपयोग, सामाजिक चेतना केंद्र की अवधारणा एवं संचालन, शिक्षार्थियों एवं स्वयंसेवी शिक्षकों के लिए संसाधन सामग्री, समुदाय से जुड़ाव एवं समुदाय को साक्षरता कार्यक्रम से जोड़ने की तकनीकें, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने की रणनीतियाँ, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, डिजिटल साक्षरता, मिश्रित (हाइब्रिड) सीखने-सिखाने के उपागम एवं अन्य प्रासंगिक विषय।

7.4.4 शिक्षक-प्रशिक्षक अपने शिक्षक-शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे जिससे वे विविध पृष्ठभूमियों एवं आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थी-समूहों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ सकें।

7.4.5 शिक्षक-प्रशिक्षक निम्नलिखित बिंदुओं को सुनिश्चित करेंगे -

i. अपने अधीन आवंटित शिक्षक-शिक्षार्थियों का उल्लास ऐप पर स्वयंसेवी शिक्षक के रूप में पंजीकरण सुनिश्चित करना।

ii. शिक्षक-शिक्षार्थियों के लिए असाक्षर शिक्षार्थियों की सूची प्राप्त करने हेतु नोडल अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करना।

iii. शिक्षक-शिक्षार्थियों से संबंधित सभी अभिलेखों का संधारण करना, जिसमें शिक्षार्थियों के नामांकन/टैगिंग, उपस्थिति तथा अन्य आवश्यक विवरण सम्मिलित हों।

iv. शिक्षक-शिक्षार्थियों द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज़ों एवं अभिलेखों के आधार पर उपयुक्त प्रतिपुष्टि (Feedback) तंत्र विकसित करना, ताकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया जा सके तथा कार्यक्रम के प्रभावी एवं सुचारु क्रियान्वयन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

v. कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों, शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं तथा पाठ्यक्रम एकीकरण, सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं सामाजिक चेतना केंद्र के प्रबंधन से संबंधित अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।

vi. सामुदायिक आधारित साक्षरता पहलों की अल्पकालिक हस्तक्षेपों के बाद भी निरंतरता बनाए रखने के लिए रणनीतियाँ विकसित करना तथा शिक्षार्थियों को डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक कौशल एवं सतत शिक्षा कार्यक्रमों की ओर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करना।

vii. कार्यक्रम की प्रगति, शिक्षार्थियों के सीखने के प्रतिफल तथा शिक्षक-शिक्षार्थियों के प्रदर्शन से संबंधित जानकारी का नियमित रूप से नोडल अधिकारी(यों), संस्थानाध्यक्ष, जिला एवं राज्य स्तर के उल्लास अधिकारियों के साथ साझा करना तथा आवश्यक समन्वय बनाए रखना।

viii. स्वयंसेवी शिक्षक के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक-शिक्षार्थियों को उचित पहचान एवं प्रोत्साहन प्रदान करना तथा शिक्षक-शिक्षा संस्थान एवं समुदाय में समावेशन, सामाजिक उत्तरदायित्व और आजीवन सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना।

उल्लास में शिक्षक-प्रशिक्षकों की भूमिका

- शिक्षक-शिक्षार्थियों को उल्लास कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देना (ओरिएंट करना)।
- नोडल अधिकारी के परामर्श से शिक्षक-शिक्षार्थियों के लिए कार्य एवं गतिविधियों की समय-सारिणी तैयार करना।
- निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार शिक्षक-शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना।
- नोडल अधिकारी के परामर्श से शिक्षक-शिक्षार्थियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना तथा उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान में सहायता करना।
- शिक्षक-शिक्षार्थियों एवं शिक्षार्थियों से संबंधित अभिलेखों/आँकड़ों (डेटा) का रख-रखाव करना।

7.5 शिक्षक-शिक्षार्थियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

उल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक-शिक्षार्थी एक महत्त्वपूर्ण साझेदार हैं। वे पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहभागिता करेंगे, पाठ योजनाओं का निर्माण एवं संचालन करेंगे तथा अपने शिक्षार्थियों की प्रगति का नियमित आकलन करेंगे। वे विविध पृष्ठभूमियों के शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते हुए उनकी सीखने संबंधी प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करेंगे, उनकी नियमितता एवं प्रगति का सतत अनुवीक्षण (मॉनिटरिंग) करेंगे तथा असाक्षर व्यक्तियों को उल्लास से जुड़ने के लिए प्रेरित कर समुदाय को सक्रिय रूप से संगठित करने में योगदान देंगे। इस प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक-शिक्षार्थी, प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षार्थी-केंद्रित सीखने-सिखाने की प्रक्रिया तथा सामुदायिक सहभागिता से संबंधित व्यावहारिक कौशलों का विकास करेंगे।

7.5.1 शिक्षक-शिक्षार्थी, शिक्षक-प्रशिक्षक के मार्गदर्शन एवं सहयोग से उल्लास ऐप पर स्वयं को स्वयंसेवी शिक्षक के रूप में पंजीकृत करेंगे।

7.5.2 वे अपने द्विवर्षीय/तृवर्षीय/चार-वर्षीय पाठ्यक्रम की अवधि के अनुसार कम से कम 5 से 8 असाक्षर शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे।

7.5.3 वे अपने टैग किए गए शिक्षार्थियों से संपर्क स्थापित कर उन्हें उल्लास कार्यक्रम तथा उनके लिए उपलब्ध सीखने के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही वे असाक्षर शिक्षार्थियों के लिए शिक्षण-सत्रों की समय-सारिणी तैयार करेंगे।

7.5.4 वे अपने शिक्षक प्रशिक्षकों एवं नोडल अधिकारी(यों) के सहयोग से सामाजिक चेतना केंद्र संबंधी दिशा-निर्देशों की अनुशंसाओं के अनुरूप अपने-अपने संस्थान में सामाजिक चेतना केंद्र की स्थापना एवं उसके सुदृढ़ीकरण में सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे।

7.5.5 वे उल्लास ऐप एवं राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र-प्रकोष्ठ के वेब पेज पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान तथा महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल (जैसे—डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता आदि) पर आधारित शिक्षार्थी-केंद्रित पाठों की योजना बनाएँगे तथा उनका संचालन करेंगे। इसके लिए वे विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप बहुभाषिक, समावेशी एवं संदर्भ-संवेदी सीखने- सिखाने की रणनीतियों का प्रयोग करेंगे।

7.5.6 वे स्थानीय आवश्यकताओं एवं संदर्भों के अनुरूप, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील तथा शिक्षार्थी-अनुकूल सीखने-सिखाने की सामग्री का विकास, अनुकूलन, अंगीकरण तथा संदर्भानुकूल रूपांतरण करेंगे। जहाँ उपयुक्त हो, वहाँ वे डिजिटल उपकरणों तथा मिश्रित (हाइब्रिड) शिक्षण माध्यमों का भी प्रभावी उपयोग करेंगे।

7.5.7 शिक्षक-शिक्षार्थी शिक्षार्थियों के बीच उल्लास कार्यक्रम तथा उनके लिए उपलब्ध सीखने के अवसरों के संबंध में जागरूकता एवं प्रेरणा उत्पन्न करने हेतु विभिन्न जागरूकता एवं प्रेरक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे।

7.5.8 शिक्षक-शिक्षार्थी असाक्षर शिक्षार्थियों की प्रोफ़ाइल तैयार करने हेतु एक प्रतिवेदन/फाइल तैयार करेंगे, जिसमें निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होंगे—

- शिक्षक-शिक्षा संस्थान का नाम तथा स्वयंसेवी शिक्षक का विवरण
- शिक्षार्थी की विस्तृत प्रोफ़ाइल
- उल्लास ऐप पर स्वयंसेवी शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के पंजीकरण तथा टैगिंग का विवरण
- शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रदर्शित करने वाले स्वयंसेवी शिक्षक एवं उनके शिक्षार्थियों के जियो-टैग किए गए (Geo-tagged) फोटोग्राफ

- शिक्षार्थियों की सीखने की प्रगति को दर्शाने वाली रचनात्मक आकलन (Formative Assessment) संबंधी आकलन-पत्रक (Assessment Sheets)
- शिक्षण-अधिगम अनुभवों के साझा करने तथा शिक्षार्थियों की प्रगति पर आधारित एक संक्षिप्त चिंतनात्मक प्रतिवेदन (Reflective Report)

7.5.9 वे शिक्षार्थियों की प्रगति का आकलन करने के लिए नियमित रूप से मूल्यांकन करेंगे तथा उन्हें मार्गदर्शन, प्रेरणा और आवश्यक उपचारात्मक (Remedial) सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही, सीखने में आने वाली सामाजिक, भाषाई एवं संदर्भगत (प्रासंगिक) चुनौतियों सहित अन्य बाधाओं के समाधान में भी सहयोग करेंगे।

7.5.10 वे नैतिक मूल्यों एवं आचार मानकों का पालन करेंगे तथा शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि, संस्कृति एवं गरिमा का सम्मान करेंगे। साथ ही, संकाय सदस्यों, सहपाठियों, समुदाय के सदस्यों एवं स्थानीय प्राधिकरणों के साथ सम्मानपूर्ण एवं सहयोगात्मक ढंग से कार्य करेंगे।

7.5.11 वे उल्लास के अंतर्गत आयोजित कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सहपाठी-शिक्षण (Peer Learning) मंचों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए स्वयं को उपलब्ध रखेंगे।

7.5.12 वे इस बात को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न पहलों का समर्थन करेंगे कि शिक्षण सत्रों की समाप्ति के बाद भी शिक्षार्थियों का सीखना निरंतर जारी रहे। साथ ही, वे शिक्षार्थियों को डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक कौशल तथा सतत शिक्षा के अवसरों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके अतिरिक्त, नए शिक्षार्थियों एवं स्वयंसेवी शिक्षकों का मार्गदर्शन करके समुदाय में उल्लास के दीर्घकालिक प्रभाव को सुदृढ़ एवं स्थायी बनाने में योगदान देंगे।

7.5.13 स्थानीय निकायों, गैर-सरकारी संगठनों तथा सामुदायिक नेतृत्वकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को सुगम बनाना; शिक्षार्थियों को जोड़ने एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान संचालित करना तथा शिक्षक-शिक्षार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व और कर्तव्यबोध की भावना को प्रोत्साहित करना।

7.5.14 यदि किसी शिक्षक-शिक्षार्थी को पर्याप्त संख्या में शिक्षार्थी आवंटित नहीं किए जाते हैं तो वे शिक्षक-शिक्षा संस्थान के नोडल अधिकारी से परामर्श करके पैरा 7.2.14 में उल्लिखित अन्य गतिविधियों का निर्वहन करेंगे।

उल्लास में शिक्षक-शिक्षार्थी की भूमिका

- उल्लास ऐप के माध्यम से स्वयं को स्वयंसेवी शिक्षक (Volunteer Teacher -VT) के रूप में पंजीकृत करना।
- अपने सभी शिक्षार्थियों का पंजीकरण एवं टैगिंग सुनिश्चित करना।
- शिक्षक-शिक्षा संस्थान (TEIs) द्वारा शिक्षार्थियों से परामर्श कर तैयार की गई समय-सारिणी का पालन करना।
- शिक्षार्थियों के साथ विश्वासपूर्ण संबंध (रैपो) स्थापित करना तथा उनकी परिस्थितियों और आवश्यक_ताओं को समझना।
- शिक्षार्थियों को निरंतर सीखने के लिए प्रेरित करना।
- शिक्षार्थियों के साथ संवाद करते समय तदनुभूतिपूर्ण एवं संवेदनशील व्यवहार करना।
- कार्यक्रम की प्रकृति एवं अवधि के अनुसार कम-से-कम 5–8 शिक्षार्थियों को शिक्षित करना तथा निर्धारित शैक्षणिक क्रेडिट प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रमाणित साक्षर बनाना।
- शिक्षार्थियों के परिचित परिवेश एवं उनकी स्थानीय भाषा को ध्यान में रखते हुए साक्षरता प्रदान करना।
- निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्यपत्रकों (Worksheets) एवं आकलन (Assessment) का उपयोग करना।
- शिक्षार्थियों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक आकलन परीक्षा (FLNAT) में सम्मिलित होने के लिए आत्मविश्वास विकसित करना।
- शिक्षार्थियों को बुनियाद साक्षरता एवं संख्यात्मक आकलन परीक्षा (FLNAT) में सम्मिलित होने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

8. सहायक लिंक -

नीचे दिए गए लिंक स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL) की विभिन्न पहलों के अंतर्गत विकसित सीखने-सिखाने एवं संसाधन सामग्री की व्यापक विस्तार तक पहुँच प्रदान करते हैं। इन प्लेटफ़ॉर्मों पर उल्लास प्राइमर (सभी आधिकारिक भाषाओं में), 121 स्थानीय भाषाओं के प्राइमर, वीडियो, स्थानीय सीखने-सिखाने की सामग्री का संकलन (Compendium) तथा सेंपल प्रश्न-उत्तर पुस्तिकाएँ उपलब्ध हैं।

इन संसाधनों का उद्देश्य उल्लास के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म तथा यूट्यूब चैनल शैक्षिक सामग्री के प्रभावी प्रसार, व्यापक पहुँच एवं सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ योजना से संबंधित नवीनतम गतिविधियों एवं अद्यतनों की जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं।

इन पोर्टलों पर निम्न सामग्री उपलब्ध है—

- **उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल**
- **वेबसाइट-** https://ullas.education.gov.in/nilp
- **ट्विटर पेज**- https://x.com/ULLAS_MOE
- **फेसबुक पेज -** https://www.facebook.com/profile.php?id=100092449066375
- **यूट्यूब - चैनल:** https://www.youtube.com/@ULLAS-MoE/abou
- **पी एम ई -** विद्या डी टी एच **- 14**

9. उल्लास के अंतर्गत शिक्षक-शिक्षा को साक्षरता आंदोलन में रूपांतरित करने के प्रमुख बिंदु -

9.1 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित सभी शिक्षक-शिक्षार्थी उल्लास के अंतर्गत स्वयंसेवी शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

9.2 प्रत्येक शिक्षक-शिक्षार्थी को कार्यक्रम की अवधि एवं प्रकृति के अनुसार कम-से-कम 5 से 8 असाक्षर शिक्षार्थियों को शिक्षित करना होगा तथा उन्हें उल्लास–नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमाणित साक्षर बनाना होगा।

9.3 उल्लास की गतिविधियों में सहभागिता को शैक्षणिक क्रेडिट अथवा समकक्ष अंक/ग्रेड से जोड़ा जाएगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का मुद्रा संबंधी प्रोत्साहन (Monetary Incentives) प्रदान नहीं किया जाएगा।

9.4 शिक्षक-शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि उल्लास की गतिविधियों का योजनाबद्ध क्रियान्वयन, सतत अनुवीक्षण तथा उन्हें शैक्षणिक कैलेंडर एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण (Practicum) के साथ प्रभावी रूप से एकीकृत किया जाए।

9.5 शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे स्वयंसेवी शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों का पंजीकरण, टैगिंग, प्रगति का अनुवीक्षण, उल्लास प्राइमर एवं सीखने-सिखाने की सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करें तथा सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

9.6 शिक्षक-शिक्षा संस्थान शिक्षार्थियों की पहचान करने तथा सामाजिक चेतना केंद्र जैसे शिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए विद्यालयों, स्थानीय निकायों, गैर-सरकारी संगठनों तथा सामुदायिक संगठनों के साथ सहयोग कर सकते हैं।

9.7 इस पहल का उद्देश्य साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए लिए 95% या उससे अधिक साक्षरता दर का मानक निर्धारित किया गया है। साथ ही यह पहल आजीवन सीखने (Lifelong Learning) को प्रोत्साहित करने तथा सभी के लिए बुनियादी शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने का भी लक्ष्य रखती है।

9.8 जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस योजना के अंतर्गत पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, वहाँ शिक्षक-शिक्षा संस्थान शेष असाक्षर शिक्षार्थियों की पहचान कर उन्हें साक्षर बनाने का कार्य निरंतर जारी रख सकते हैं। साथ ही वे नवसाक्षरों को उत्तर-साक्षरता/साक्षरता के बाद का क्रम (Post-Literacy) तथा सतत शिक्षा/बुनियादी शिक्षा संबंधी गतिविधियों से जोड़ने का कार्य भी करेंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षक-शिक्षा संस्थान सीखने-सिखाने की सामग्री के विकास एवं समृद्धीकरण में भी सक्रिय योगदान दे सकते हैं।

आवश्यकतानुसार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् शिक्षक-शिक्षा संस्थानों के लिए अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्रदान करने हेतु अनुपूरक/अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।

10. निष्कर्ष

10.1 उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक-शिक्षा संस्थानों के लिए प्रस्तावित दिशा-निर्देश एक व्यापक एवं कार्योन्मुखी रूपरेखा के रूप में परिकल्पित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षक-शिक्षा को राष्ट्रीय साक्षरता लक्ष्यों की प्राप्ति का एक प्रभावशाली माध्यम बनाना है। कर्तव्यबोध तथा जनभागीदारी के आदर्शों पर आधारित ये दिशा-निर्देश शिक्षक-शिक्षार्थियों को परिवर्तन के प्रमुख वाहक के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं ताकि वे स्वयंसेवी शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान दे सकें। उल्लिखित दिशा-निर्देश द्वारा शैक्षणिक कार्यक्रमों में सुव्यवस्थित एकीकरण के माध्यम से प्रत्येक शिक्षक-शिक्षार्थी कम-से-कम 5 असाक्षर शिक्षार्थियों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान प्रदान करने का दायित्व निभाएगा। इसके फलस्वरुप एक व्यापक गुणक प्रभाव (Multiplier Effect) उत्पन्न होगा, जो पूर्ण साक्षर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा।



10.2 इन दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न साझेदारों के समन्वित प्रयास आवश्यक होंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से अपेक्षा की जाती है कि वह शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों में उल्लास को समुचित रूप से समाहित करते हुए नियामक एवं शैक्षणिक दिशा-निर्देश प्रदान करे। इसके अंतर्गत उपयुक्त शैक्षणिक क्रेडिट अथवा समकक्ष अंक/ग्रेड से संबंधित प्रावधानों को भी जोड़ा जाएगा। शिक्षक-शिक्षा संस्थान इन दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन के प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। वे योजना निर्माण, आवश्यक संसाधनों के उपलब्ध कराने तथा समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। नोडल अधिकारी एवं शिक्षक-प्रशिक्षकों की भूमिका समन्वय, मार्गदर्शन तथा क्षमता निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, जिससे समावेशी एवं प्रभावी शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं को सुनिश्चित किया जा सके। जमीनी स्तर पर शिक्षक-शिक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से कार्य करें, समुदाय को साक्षरता अभियान से जोड़ें, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सीखने-सिखाने की सामग्री विकसित करें, शिक्षार्थियों को साक्षरता प्राप्त करने और बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा (FLNAT) में सम्मिलित होने के लिए सहयोग प्रदान करें।

10.3 एक बार कार्यान्वित होने के पश्चात्, यह सहयोगात्मक और सहभागितापूर्ण मॉडल भावी शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षताओं को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ करने के साथ-साथ उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व, समानुभूति और आजीवन सीखने के प्रति प्रतिबद्धता की गहरी भावना विकसित करेगा। यह गतिविधि शिक्षक-शिक्षार्थी (जो भावी शिक्षक हैं) में राष्ट्र-निर्माण की गतिविधियों में योगदान देने तथा भारत को 'जन-जन साक्षर' बनाने में अपनी भूमिका निभाने के प्रति गौरव की भावना भी उत्पन्न करेगी। अंततः ये दिशा-निर्देश 'जन-जन साक्षर' के दृष्टिकोण को सशक्त बनाते हुए शिक्षक-शिक्षा संस्थानों को साक्षरता के लिए सक्रिय एवं जीवंत केंद्रों में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। इस प्रकार यह दिशा-निर्देश एक समावेशी, सशक्त और विकसित भारत के निर्माण में सार्थक योगदान देगी।

***



विद्ययाऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING